योजनागत गैर-योजनागत खर्च का एककीकरण

4504. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:**
श्री बरजिन्दर सिंह:
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार भविष्य में योजनागत खर्च और गैर-योजनागत खर्च जैसी मदों को एक कर देने के लिए प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो दो भिन्न मदों के एककीकरण के कारण होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि दो विभिन्न मदों के एककीकरण से सरकार, को विभिन्न स्तरों पर योजना खर्च को गैर-योजना खर्च में बदलने से सुविधा होगी?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) सरकार ने बजट में आयोजना और आयोजना-भिन्न अन्तर की व्यापक तरीके से जांच करने और बजट में सरकारी व्यय को कार्यत्मक रूप से संभाव्य और अधिक एकाग्र तरीके से प्रस्तुत करने के लिए एक कार्य दल के गठन का निर्णय लिया है जिसमें योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेख-परिक्षक और कुछ राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसकी घोषणा वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण (पैरा 48 द्वारा) में की गई थी।

(ख) और (ग) पनरीक्षण की आवश्यकता इसलिए हुई है क्योंकि अनेक अन्य समस्याओं के साथ हमारी बजटीय प्रणाली में आयोजना व्यय पर अधिक ध्यान सहित परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण जैसी मदों, जिसे आयोजना-भिन्न के रूप में वर्गिकृत किया गया है, की तदनुरूपी अनदेखी हुई है। दसवें वित्त आयोग सहित विभिन्न निकायों ने बजट में आयोजना औऱ आयोजना भिन्न के बीच अन्तर की समाप्ति का समर्थन किया है

अप्रयोज्य आस्वियों (एन.पी.एज.) वर श्री ए.टी.
पनीर सेलवान का प्रतिवेदन

4505. **श्री सुखदेव सिंह डिंडसा:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अप्रयोज्य आस्तियों की बढ़ती मात्रा की ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा गत वर्ष श्री ए.टी. पनीर सेलवन के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. जनार्दनम): (क) सरकार ने बैंकों के अनुयोज्य आस्तियों के कारणों के गहराई से अध्ययन करने तथा प्रभावशाली वसूली के लिए उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए श्री ए.टी पनीर सेलवम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) समिति की सिफारिशों मे, अन्य बातों के साथ-साथ कानून में परिवर्तन, पूंजी बाजार कं पुन: अर्थक्षम बनाना, आस्ति पुनर्गठन, निधि की स्थापना करना, केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारणा गारंटियों की मान्यता देना, संदिग्ध एंव घाटे आस्तियों पुनरीक्षा करना बाइफर के कार्य संचालन में सुधार करना आदि शामिल हैं। इन सिफारिशों से अनुपयोज्य आस्थियों को रोकने और उनमें कमी करने के लिए किये गये सतत प्रयासों में सहायता मिलती है। बैंकों से कहा गया है कि वे ऋण नीति, ऋण वसूली नीति तैयार करें, वसूली के लिए शाखा वार लक्ष्य निर्धारित करें तथा मुख्यालयों में वसूली प्रकोष्ठ स्थापित करें। बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक बोर्ड नियमित अन्तरणालों पर वसूली स्थिति की पुनरीक्षा करते हैं।

Memorandun Regarding Financial Irre gularities in DGHC

4506. SHRI DAWA LAMA: Will tlic Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether an All Party Delegation submitted a memorandum to the Finance Minister on 15.6.98 demanding enquiries into the gross financial irregularities of Darjeeling Gorkha Hill Council;

(b) whether the memorandum contains several instances and proves of financial irregularities; and

(c) whether Government is going to order enquiry against DGHC for scams of hudreds of crores of rupees?